<u>समाचार</u>

मास्क न पहनने पर लगा 5400 रूपये अर्थदण्ड

कोरबा 09 मार्च 2021 –कोरोना संक्रमण को देखते हुए नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा मास्क के अनिवार्य उपयोग हेतु अभियान चलाते हुए बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलकर सड़कों, सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचने वाले व्यक्तियों पर 5400 रूपये का अर्थदण्ड लगाया तथा कड़ी हिदायत दी कि वे मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकले, खुद कोरोना संक्रमण से बचें तथा दूसरों को भी संक्रमित होने से बचाएं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार विभिन्न जोनांतर्गत कार्यवाही करते हुए निगम अमले द्वारा विगत दो दिनों में 5400 रूपये का अर्थदण्ड मास्क न पहनने वालों पर लगाया गया। कोरबा जोनांतर्गत 700 रूपये, टी.पी.नगर जोनांतर्गत 800 रूपये, कोसाबाड़ी व पं.रविशंकर शुक्ल जोनांतर्गत 1100 रूपये, बालको जोनांतर्गत 900 रूपये, दर्री जोनांतर्गत 700 रूपये, बांकीमोंगरा जोनांतर्गत 600 रूपये, सर्वमंगला जोनांतर्गत 600 रूपये,का अर्थदण्ड लगाया गया।